कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001
दूरभाष–0761–2624341, 0761–2625688 ई–मेल ccf.jbp@mp.gov.in

क्र0/मा0चि0/ 2078 जबलपुर, दिनांक 13/03/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल ।

विषय :– नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) (गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग) के वनखण्ड चाट्घाट से कटनी कि0मी0 119 + 65 से 163 + 85 के निर्माण में पड़ने वाली वनभूमि के अधिग्रहण (Proposal No. FP/MP/ROAD/35242/2018) बावत् ।

संदर्भ :– व0म0अ0 कटनी का पत्र क्र0/मा0चि0/283 दिनांक 22.02.2019 (इस कार्यालय को दिनांक 12.03.2019 को प्राप्त)

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं । प्रस्ताव के संबंध में जानकारी निम्नानुार हैं :–

1. आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण ऑनलाईन किया हैं जिसका Proposal No. FP/MP/ROAD/35242/2018 है।

2. आवेदक संस्थान द्वारा कटनी वनमण्डल के अंतर्गत कटनी .परिक्षेत्र के कक्ष क्र0 80 एवं 86 में कुल रकवा 0.98 हे0 में ऑन लाईन आवेदन किया है परन्तु वनमण्डलाधिकारी द्वारा संदर्भित पत्र में लेख किया गया है कि मार्ग निर्माण चौड़ीकरण के प्रस्ताव में कक्ष क्र0 80 के 2.20 हे0 वनभूमि एवं कक्ष क्र0 86 के 0.60 हे0 वनभूमि इस प्रकार कुल 2.80 हे0 वनभूमि प्रभावित होना पाया गया हैं इस संबंध में आपका पत्र क्र0/एफ–5/2019/10–11/103 दिनांक 14.01.2019 के द्वारा लेख किया गया है कि 2.8 हे0 वनभूमि में पूर्व में निर्मित सड़क की चौड़ाई भी सम्मिलित है अतः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी मार्ग की चौड़ाई के विस्तार के लिये आवेदक द्वारा आवेदन दिया जाता है तो पूर्व से निर्मित मार्ग का क्षेत्रफल लेने की आवश्यकता नहीं हैं ।

3. व0म0अ0 द्वारा दिनांक 12.02.2019 को आवेदित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं।

4. आवेदक विभाग द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रू 6000.00 जमा किया है जिसे वनमण्डलाधिकारी द्वारा चालान क्रमांक 44 दिनांक 04.05.2018 के द्वारा संबंधित मद में जमा किया हैं ।

5. व0म0अ0 द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से पार्ट –2 की पूर्ति कर प्रस्ताव 2.80 हे0 वनभूमि की अनुशंसा सहित 03 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की हैं।

6. आवेदित क्षेत्र 1.00 हे0 से कम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार नहीं की गयी हैं ।

अतः सदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न कर आवेदक विभाग को 0.98 हे0 वनभूमि व्यपवर्तित करने की अनुशंसा की जाती हैं ।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार ।

13.03.19

(आर0डी0 महला, भा0व0से0)
मुख्य वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

पृ0 क्र0 / मा0चि0 / 2079 जबलपुर, दिनांक 13 / 03 / 2019

प्रतिलिपि :— 1. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कटनी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग, जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ ।

मुख्य वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर
13/3/19

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001

Recommendation Letter

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग, जबलपुर द्वारा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 43(विस्तार) (गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग) के वनखण्ड चॉदघाट से कटनी कि0मी0 119 + 65 से 163 + 85 के निर्माण में पड़ने वाली वनभूमि के अधिग्रहण बावत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें कटनी वन मण्डल के कटनी परिक्षेत्र के कक्ष क्र0 80 एवं 86 का कुल रकवा 0.98 हे0 प्रभावित हैं । आवेदक विभाग को 0.98 हे0 वनभूमि व्यपवर्तित करने की अनुशंसा की जाती हैं।

स्थान :–जबलपुर

दिनांक :– 13/03/2019

(आर0डी0 महला, भा0व0से0)
मुख्य वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

13/3/19